

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 28/2002

तारीख दायरा 08.05.

2002

उनवान

1. बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी बपावरकलां।
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी बपावरकलां।
3. टीकमचन्द पुत्र माधो जाति माली निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. खण्ड सांगोद जरिये सहायक अभियन्ता सांगोद जिला कोटा।
2. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. खण्ड सांगोद जरिये अधिशाषी अभियन्ता महोदय जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट में दिनांक 13.1.2011 को वादी द्वारा पेश
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थित :-

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादीगण)

दिनांक :- 22.02.2021

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रतिवादीगण)

—:: निर्णय ::—



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे शुदा जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर रहे है। प्रतिवादीगण का जी.एस.

एस. लम्पन 40 वर्ष पूर्व से नीके पर बना हुआ है। जिसमें विद्युत ट्रांसफार्मर आदि लगे हुए हैं तथा तार खांचे हुए हैं। उक्त सबकी सुरक्षा हेतु जी.एस.एस. के चारों तरफ बाउन्ड्रीवॉल तारों से घेर लाना करवा दिया है, जिसमें विद्युत ट्रांसफार्मर आदि से जान माल एवं पशु आदि नुकसान नहीं हो सके। उक्त तारों की बाउन्ड्रीवॉल के स्थान पर प्रतिवादीगण के कब्जे शुदा जगह पर नीम खोदकर पक्की बाउन्ड्रीवॉल बनाई जा रही है, जिसमें तारों को हटा दिया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में ट्रांसफार्मर आदि खुले पड़े हैं। यदि विवादित स्थान खसरा नं० 729, 730 है, उस पर वादीगण का कब्जा नहीं है, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद खातेदार कृषक के द्वारा जिसका कब्जा भूमि पर है, उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत वाद सभी खातेदारान द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में दावा 188 आर.टी.एक्ट. चलने योग्य नहीं है तथा वादीगण को कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त दिनांक 7.2.2011 को वादीगण की ओर से वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं—

उपरोक्त उनवान का मुकदमा माननीय न्यायालय में जैरकार होना स्वीकार है, शेष प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूपेण अस्वीकार है। इसके उत्तर में निवेदन है कि अप्रार्थी वादी की ग्राम बपावरकलां में खसरा नं० 729, 730, 731 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। जयपुर विद्युत वितरण निगम को खातेदारान वादीगण की भूमि पर नीवें खोदकर स्थाई निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी विद्युत वितरण निगम को कोई सुरक्षा सम्बन्धी अपने स्वामित्व की जमीन पर बाउन्ड्री वॉल बनानी है, तो वह अपनी स्वामित्व की आराजी में बनाये, उस पर किसी भी तरह से कानून हाथ में लेकर जबरन वादीगण की खातेदारी की आराजी में नीवें खोदकर बाउन्ड्री वॉल बनाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी का कथन स्वीकार नहीं है कि वादीगण का खसरा नं० 729, 730 पर कब्जा नहीं है, इसलिए धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है।

वादीगण खसरा नं० 729, 730, 731 के खातेदार कृषक हैं एवं दृष्टया कब्जा खातेदार कृषक का ही माना जाता है। कब्जे का प्रश्न इस तरह प्रार्थना पत्र के आधार पर तय नहीं हो सकता। कब्जे का प्रश्न कानून व तथ्य का मिश्रित मथ्य है जिसे वाद में दोनों पक्षों की गहन साक्ष्य के विवेचन से ही कब्जा की स्थिति तय की जा सकती है। साथ ही प्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि वाद सभी खातेदारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया

अतः 188 का वाद सहखातेदारान में से किसी भी खातेदार द्वारा कानून प्रस्तुत किया जा सकता है।


अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। धारा 188 का वाद कोई भी खातेदार कृषक राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सकता है। खातेदार कृषक को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

तत्पश्चात वकील अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई। मेरे द्वारा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने तर्क में कहा कि पूर्व में भी मिसल न. 8/05 समान आराजी का एवं समान प्रकृति का एक वाद दायर किया गया था जो कि पूर्व में ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अंतर्गत दिनांक 19.6.2007 में खारिज हो चुका है। साथ ही इस प्रकरण में 50 से अधिक खातेदार शामिल हैं परन्तु वादीगण मात्र 3 ही हैं। उन्होंने सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी दशा में जब यह निर्धारित नहीं हो सकता है कि इन वादीगण की कौन सी भूमि है तो इस स्थिति में 188 रा.टी.एक्ट का वाद भी चलने योग्य नहीं है।

वकील वादी ने जाहिर किया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ने बिना भूमि अवाप्त किए खातेदारों की भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है जिसे रोकना आवश्यक है। इस पर वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि जी.एस.एस. का निर्माण पिछले 50 वर्ष पूर्व ही हो चुका है इसलिए अब वादीगण को 188 रा.टी.एक्ट के तहत वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वादीगण चाहे तो मुआवजे के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे द्वारा बहस उभय अधिवक्ता सुनी गई तथा दोनों अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 19.6.2007 वाद सं. 8/05 से स्पष्ट है कि पूर्व में भी इसी आराजी एवं समान रिलीफ का प्रकरण इस न्यायालय से एक बार खारिज हो चुका है। अतः इस प्रकरण पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। प्रकरण पूर्व में एक बार खारिज हो जाने के कारण पुनः चलने योग्य नहीं पाए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा